वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 119/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

थाना लोहता पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान किसी घटना को अंजाम देने जा रहे दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर.32 बोर, 03 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद देशी अवैध तमंचा.315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 15/09/2020 को थाना लोहता उ0नि0 अभिषेक कुमार राय मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अकेलवा चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटर साइकिल से गंगापुर की तरफ से आ रहे है जो अकेलवा होते हुए जंसा की तरफ जायेंगे, जिनके पास नाजायज असलहे है। उक्त सूचना पर अकेलवा चौराहे से गंगापुर रोड़ पर मोटर साइकिल सवार दोनो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर देशी निर्मित अवैध .32 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 अदद देशी तमंचा अवैध .315 बोर व 02 अदद जिदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल, 02 अदद मोबाइल फोन व रु0-600/- नकद बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अभियुक्तगण रवि कुमार राजभर व पवन कुमार गौड़ उर्फ राहुल को समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- रवि कुमार राजभर पुत्र स्व0 रामवृक्ष राजभर निवासी सोजई तितखोरी थाना जंसा वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष।
- पवन कुमार गौडं उर्फ राहुल पुत्र राजकुमार निवासी मीरावन गंगापुर थाना जंसा वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0214/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना लोहता जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0215/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना लोहता जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद रिवाल्वर देशी निर्मित अवैध .32 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर

2- 01 अदद देशी तमंचा अवैध .315 बोर व 02 अदद जिदा कारतूस .315 बोर

3- 01 अदद मोटरसाइकिल रजि0 न0 UP 65 BK 1817

4- 02 अदद मोबाइल फोन

5- रु0-600/- नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार राय, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश यादव, उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 राजेश सिंह, का0 दिवाकर गुप्ता व का0 आदित्य कुमार थाना लोहता, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

दिनांक 15-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा मोहन सराय “राण्ट्रीय राजमार्ग” पर भारी वाहनों को अवैध रुप से खड़ी/पार्क कर जाम लगाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 120/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय दो शातिर हेरोईन तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा.315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 50 ग्राम नाजायज हेरोईन बरामद।

दिनांक 14.09.2020 को थाना प्रभारी थाना आदमपुर उ0नि0 संतोष तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में उपस्थित थे कि इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति भदऊ चुंगी की तरफ से पैदल आ रहे है, दोनो शातिर किस्म के बदमाश है, उनके पास अवैध असलहा व नाजायज हेरोईन भी है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के भदऊ डाट पुल के पास पहुँचकर लिंक मार्ग पलंग शहीद के पास दोनों को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके पास से 01 अदद तमंचा.315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर व 50 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण वीरु सिंह व धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. वीरू सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम नुनवती सतेशगढ़ पोस्ट तेन्दुआ कला थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र 30 वर्ष
2. धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम नुनवती सतेशगढ़ पोस्ट तेन्दुआ कला थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र 32 वर्ष

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली थाना व जनपद प्रयागराज के नबावगंज थाना व अन्य जनपदों के थानों में हम लोगों के विरुद्ध मादक पदार्थ की तस्करी में अभियोग पंजीकृत है तथा हम लोग जनपद प्रयागराज व सोनभद्र से वांछित है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 97/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना आदमपुर वाराणसी
2- मु0अ0सं0 98/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आदमपुर वाराणसी

पूर्व का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 387/20 धारा 307/504/506 भादवि थाना राबर्ट्सगंज सोनभद्र
2-मु0अ0स0 543/20 धारा 323/307 भादवि थाना राबर्ट्सगंज सोनभद्र
3-मु0अ0स0 750/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबंगज प्रयागराज
4-मु0अ0स0 751/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबंगज प्रयागराज

5- मु0अ0स0 752/20 धारा 4/5 वि0प0अधि0 थाना नवाबंगज प्रयागराज

6- मु0अ0स0 752/20 धारा 4/5 वि0प0अधि0 थाना नवाबंगज प्रयागराज

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमन्चा.315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर।
2. 50 ग्राम नाजायज हेरोइन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संतोष तिवारी थाना प्रभारी आदमपुर, उ0नि0 राजकुमार चौकी प्रभारी मच्छोदरी, हे0का0 747 अशोक कुमार सिंह, का0 संजय राय, का0 चन्दन यादव व का0 1313 अखिलेश कुमार थाना आदमपुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 121/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-09-2020 को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा तहसील राजातलाब में जन शिकायतों को सुना गया एवं जन शिकायतों का अविलम्ब निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 122/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना रोहनियां अन्तर्गत मोहन सराय “राष्ट्रीय राजमार्ग” पर भारी वाहनों को अवैध रुप से खड़ी/पार्क कर जाम लगाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 123/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-09-2020 को डायल-112 पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल फोन से सूचना दी गयी कि न्यायालय परिसर में बम रखा गया है। प्राप्त सूचना पर बम डिस्पोजल स्क्वायड, ए0टी0एस0 टीम, पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सुरक्षा, क्षेत्राधिकारी कैण्ट, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट मय पुलिस बल के कचहरी पहुँचकर न्यायालय परिसर की सघन जांच की गयी तथा उक्त व्यक्ति के मोबाईल नम्बर पर कई बार सम्पर्क कर सही स्थिति की जानकारी करने का प्रयास किया गया किन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा बार-बार गलत सूचना देकर पुलिस को भ्रमित किया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0701/2020 धारा 182/186/507 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त नन्द केश्वर मौर्या पुत्र मनोज कुमार मौर्या निवासी चमऊ कोइरान थाना शिवपुर वाराणसी को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 124/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-09-2020 को पुलिस लाईन वाराणसी में आरक्षी भर्ती परीक्षा-2018 के मेडिकल परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी सोनी कुमार पुत्र तेज नारायण यादव के स्थान पर परीक्षा देने आये अभ्यर्थी का फोटो व हस्ताक्षर मिलान नहीं होने पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा भर्ती बोर्ड द्वारा प्राप्त डाक्यूमेन्ट में लगे फोटो को मैच कराया गया जिसमें यह पाया गया कि परीक्षा हेतु उपस्थित व्यक्ति व वास्तविक अभ्यर्थी का चेहरा मिल नहीं रहा है। जिसकी जांच की गयी तो उपस्थित व्यक्ति का नाम अनिकेत कुमार पुत्र विमल शर्मा निवासी ग्राम कमराचक मुंगेर बिहार है जो सोनी कुमार नामक वास्तविक अभ्यर्थी के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अनिकेत कुमार द्वारा गलत तरीके से अपने आप को सोनी कुमार के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्राप्त अभिलेख में सोनी कुमार का फर्जी हस्ताक्षर भी किया गया।

.

उक्त के संबंध में क्षेत्राधिकारी कार्यालय अभिषेक पाण्डेय की लिखित तहरीर पर थाना कैण्ट पर अभियुक्त सोनी कुमार पुत्र तेज नारायण व अनिकेत कुमार पुत्र विमल शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0 703/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 6/10 परीक्षा अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त अनिकेत कुमार को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 125/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 15-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 41 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *186 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1619 वाहनों का चालान, 24 वाहनों को सीज तथा 537 वाहनों से रु0-4,10,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 15-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1204 व्यक्तियों से रु0-64,500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 126/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गोलगड्डा चौराहा से थाना आदमपुर तक पैदल मार्च किया गया तथा थाना आदमपुर का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।